न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :-	59/2019	जी.सी.एम.एस. नम्बर :-	2019/00015
दायर दिनांक :-	01.03.2019	निर्णय दिनांक :-	20.01.2025

01. बीरबलराम पुत्र छोटाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
02. लालाराम पुत्र छोटाराम फौत के कायम मुकाम
2/1 हीराराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/2 सिदूराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/3 भंवरूराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/4 बनवारीलाल पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/5 रतनाराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/6 विकास पुत्र माणकराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/7 परमादेवी पत्नि माणकराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
03. सेहनराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
04. मुल्तानाराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
05. सुखराम पुत्र भींयाराम फौत के कायम मुकाम
5/1 सुरेन्द्र पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5/2 पूनाराम पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5/3 सुनिल पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5/4 परमादेवी पत्नि सुखराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
06. पतराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
07. शैतानाराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
08. पप्पूराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
09. राजूराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

01. आशाराम पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कंसूबी तहसील सुजानगढ जिला चुरू
02. विशनकंवर पत्नि माणकचन्द जाति राजपूत निवासी कंसूबी तहसील सुजानगढ जिला चुरू

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

—:: निर्णय ::—

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 व 2 स्वंय के नाम तथा 3 से 9 के पिता स्व. रामूराम तथा ठाकरा उर्फ भीयाराम के तथा अन्य सहखातेदारों के नाम से ग्राम राणेरी तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 253 रकबा 65.04 बीघा भूमि का आया हुआ है। आगे के पदों में इस भूमि को वादग्रस्त भूमि के नाम सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम राणेरी के खसरा नम्बर 253 रकबा 65.04 बीघा भूमि में वादीगणों को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा शेष हिस्सा वादीगणों के संयुक्त खातेदार बुधर पुत्र प्रहलाद 1/5 हिस्सा, मंगला रिड़मल पि. पोकर का 1/5 हिस्सा, जोधा रूपा पि. हणुता का 1/5 हिस्सा, लाला लादू पि. गोपाल का 1/5 हिस्सा वक्त बन्दोबस्त से राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है तथा वादीगणों का अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि पर वादीगण का शुरू से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 आशाराम तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पति माणचन्द ने तत्कालिन राजस्व पटवारी जो की प्रतिवादगणों का रिशतेदार था से मिलकर बिना कोई विधिक बेचान के वादीगणों का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित कर दिया। विवादग्रस्त भूमि में से वादीगणों का हिस्सा हड़पने के लिए तत्कालीन पटवारी द्वारा गलत रूप से ग्राम राणेरी का नामान्तरकरण संख्या 16/92 भरा लेकिन यह नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो पाया तथा दूसरी बारी तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा ग्राम राणेरी के नामान्तरकरण संख्या 41 तैयार करके स्वीकृत हेतु तहसीलदार के समक्ष पेश किया लेकिन तहसीलदार फलोदी द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया कि विवादित नामान्तरकरण बिना विधिक बेचान के भरा गया है जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने से रोका जावे की टिप्पणी किये जाने के उपरान्त भी तत्कालीन जमाबंदी सम्वत 2025–2028 में अमल दरामद कर दिया जो कि कानूनन गलत होने से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में शुद्धि की जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने से यह वाद वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया जा रहा है। वादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति है तथा तत्कालीन पटवारी ने वादीगणों की भूमि हड़प करने का मन बना लिया तथा वादीगणों की अज्ञानता का फायदा उठाते हुए बिना कोई विधिक बेचाननामा तथा बिना कोई विधिक नामान्तरकरण की कार्यवाही किये सीधे जमाबंदी में प्रतिवादीगणों के नाम से दर्ज कर दिये जो विधि विरूद्व होने से जमाबंदी सम्वत 2025 से आगे ही समस्त जमाबंदीयों में प्रतिवादीगणों का नाम विलोपित करते हुए तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 226 ग्राम राणेरी को निरस्त करते हुए ग्राम राणेरी के खसरा नम्बर 253 रकबा 65.04 बीघा में वादीगणों को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डॉक तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद तामिल समन हाजिर नही हुवे लिहाजा इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगणों ने अपने साक्ष्य का शपथ पेश किये पत्रावली में प्रस्तुत

20/01/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

दस्तावेज पर प्रदर्श मार्क लगाये गये, वादी संख्या 2 लालाराम पी.डब्लू–1 ने अपने साक्ष्या में वर्तमान जमाबंदी ग्राम राणेरी के नामान्तरकरण संख्या 16/92 तथा नामान्तरकरण संख्या 41 को प्रदर्श मार्क अंकित किये गये तथा जमाबंदी सम्वत 2025–2028 को प्रदर्शित करवाकर ग्राम राणेरी के खसरा नम्बर 253 रकबा 65.04 बीघा भूमि में से 1/5 हिस्से के खातेदारी काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई तथा वादी को साबित करने के लिए और पड़ोसी खातेदारों के बयान कलमबद्व करवाये गये।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि ग्राम राणेरी के नामान्तरकरण संख्या 41 जो कि बिना कोई वैध दस्तावेज के भरा गया है जिस पर तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दारामद नहीं करने का आदेश पारित किया जो कि राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के नियम 132 के प्रावधानों के विपरित है लेकिन हल्का पटवारी द्वारा तत्कालीन जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028 में प्रतिवादीगणों का नाम दर्ज कर दिया जिसको बाद में काट दिया लेकिन आगामी जमाबंदी सम्वत 2029 से 2033 में प्रतिवादीगणों का नाम खातेदार के कॉलम में अंकित करते हुवे आगामी राजस्व रेकर्ड को तैयार कर दिया जोकि विधि विरूद्व होने से तथा पश्चातवर्ती फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 226 ग्राम राणेरी खारिज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगणों को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण, जमाबंदी, साक्ष्य इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 253 रकबा 65.04 बीघा भूमि पूर्व में बुधर पि. प्रहलाद 1/5 हिस्सा, मंगला, रिड़मल पि. पोकर 1/5 हिस्सा, जोधा, रूपा पि. हणुता 1/5 हिस्सा, लादू पि. गोपाल 1/5 हिस्सा, रामू, ठाकरा, बीरबल, लाला पि. छोटू 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। नामान्तरकरण संख्या 16/92 ग्राम राणेरी के कॉलम संख्या 14 में जरिये स्टाम्प नम्बर 2006 दिनांक 29.05.1968 रूपये 99 में बेचान करने का नोट अंकित है जो नामान्तरकरण विधिक दस्तावेजों पर आधारित नहीं होने से जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगणों के नाम से दर्ज नहीं किया गया जिसके बाद में हल्का पटवारी द्वारा एक दूसरा नामान्तरकरण संख्या 41 ग्राम राणेरी भरा जाकर तहसीलदार फलोदी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार फलोदी के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाकर टिप्पणी की गई कि नामान्तरकरण विधिक दस्तावेज पर आधारित नहीं है जिसका आगे के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अकंन नहीं किया जावे। तत्पश्चात जमाबंदी सम्वत 2025–2028 में प्रतिवादीगणों का नाम दर्ज करके उनको काट दिया लेकिन उससे अगली जमाबंदी सम्वत 2029–2032 में प्रतिवादीगणों का नाम दर्ज किया जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से साबित है। इस प्रकार नामान्तरकरण की कार्यवाही राजस्थान लैण्ड रिकार्डस रूल्स के नियम 131 से 133 के विपरित है तथा वादीगणों द्वारा अपने साक्ष्य में तथा पड़ोसी खातेदारों के साक्ष्य से ही शुरू से लेकर आज दिन तक अपना कब्जा होना साबित है। वादीगण का वाद दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

20/01/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि राजस्व ग्राम [illegible] तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 253 रकबा [illegible] हैक्टेयर में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद का पालना करावे। इसी माफिक डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

([illegible])

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01\. बीरबलराम पुत्र छोटाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

02\. लालाराम पुत्र छोटाराम फौत के कायम मुकाम

2/1 हीराराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2/2 सिदूराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2/3 भंवरूराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2/4 बनवारीलाल पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2/5 रतनाराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2/6 विकास पुत्र माणकराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2/7 परमादेवी पत्नि माणकराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

03\. सेहनराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

04\. मुल्तानाराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

05\. सुखराम पुत्र भींयाराम फौत के कायम मुकाम

5/1 सुरेन्द्र पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

5/2 पूनाराम पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

5/3 सुनिल पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

5/4 परमादेवी पत्नि सुखराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

06\. पतराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

07\. शैतानाराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

08\. पप्पूराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

09\. राजूराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

01\. आशाराम पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कंसूबी तहसील सुजानगढ जिला चुरू

02\. विशनकंवर पत्नि माणकचन्द जाति राजपूत निवासी कंसूबी तहसील सुजानगढ जिला चुरू

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 58/2019

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि राजस्व ग्राम राणेरी तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 253 रकबा 65.04 बीघा में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करावे। नीचे मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सैदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.01.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपिया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।